


Sanjay Singh, I.A.S.
State Project Director



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् 294
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

पत्रांक:- IE/27/2010-11part-II/ 8842

दिनांक- 16/01/19

सेवा में

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिले, बिहार।

विषय:- समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) एवं पुनर्वास विशेषज्ञों के मानदेय से EPF कटौती के संबंध में।

महाशय,

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक- 02.01.2019 को आहूत 82 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के सभी जिले के समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रखंड साधन सेवी (II.), संसाधन शिक्षक एवं पुनर्वास विशेषज्ञों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निम्न प्रावधानों के आलोक में देय होगी।


1. कर्मियों के मूल वेतन (अधिकतम 15000/- पन्द्रह हजार रूपए तक) से नियमानुसार 12% की राशि स्रोत पर ही कटौती कर जमा कर ली जाएगी तथा उतनी ही राशि निष्पत्ती के द्वारा अंशदान के रूप में जमा की जाएगी।
2. कर्मियों को वर्तमान में कुल समेकित मानदेय 16,500/- प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है उक्त मानदेय राशि से ही कर्मचारी अंशदान कंडिका (1) के आलोक में कटौती की जाएगी।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समावेशी शिक्षा हेतु स्वीकृत बजट के तहत संसाधन शिक्षक पुनर्वास विशेषज्ञों के मानदेय राशि 18,500/- प्रतिमाह (2.22 लाख बारह महीने के लिए) में से 2000/- रूपए प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान एवं Administrative charge/EDLI के रूप में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए Quality Intervention शीर्ष के तहत Academic support through BRC/URC/CRC के उपशीर्ष 108 b. salary for 2 resource persons for CWSN अंतर्गत स्वीकृत राशि (मानदेय) RS.18500/- प्रतिमाह (2.22 लाख बारह महीने के लिए) में से 2000/- रूपए प्रतिमाह नियोक्ता का अंशदान एवं Administrative charge/EDLI के रूप में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
5. समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का EPF कटौती संबंधी प्रक्रिया जिला कार्यालय के लेखाशाखा/प्रबंधन शाखा के द्वारा समपन्न किया जाएगा।

(Handwritten signature)

294

293

Sanjay Singh, I.A.S.
State Project Director



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-04

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-04

- कार्यालय पत्रांक KGBV / 60 / 2019-20 / 5630, दिनांक-16.08.2019 द्वारा EPF भुगतान हेतु खोले गये बैंक खाता के माध्यम से इस राशि का भी भुगतान एवं दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को EPF कटौती की सुविधा पहली अप्रैल 2019 से प्रभावी मानी जाएगी।

विश्वासभाजन

(संजय सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

IE/27/2010-11part-II/

8842

दिनांक- 16-10-19

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

IE/27/2010-11part-II/

8842

राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक- 16-10-19

मुख्य लेखा पदाधिकारी (प्रभारी) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

IE/27/2010-11part-II/

8842

राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक- 16-10-19

सभी जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

राज्य परियोजना निदेशक